कार्यालयः— राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0

सी—1, विक्रान्त खण्ड—1, (शहीद पथ के बगल) गोमती नगर, लखनऊ।

विज्ञापन संख्याः 31/एस.सी.डी.आर.सी./अधि. 41/19 दिनांकः 09 अगस्त, 2019

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के अधोअंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में उनके सम्मुख अंकित अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति की जानी है:—

क्र.सं.	जिला फोरम का नाम	अध्यक्ष
1.	आगरा प्रथम	01
2.	आगरा द्वितीय	01
3.	मुजफ्फरनगर	01
4.	प्रतापगढ़	01
5.	कौशाम्बी	01
6.	बदायूँ	01
7.	शाहजहाँपुर	01
8.	बस्ती	01
9.	अयोध्या	01
10.	बाराबंकी	01
11.	सुल्तानपुर	01
12.	गोरखपुर	01
13.	कुशीनगर	01
14.	झाँसी	01
15.	ललितपुर	01
16.	कानपुर नगर	01
17.	कानपुर देहात	01
18.	फर्रूखाबाद	01
19.	लखीमपुर खीरी	01
20.	सोनभद्र	01
21.	भदोही	01
22.	मेरठ	01
23.	बुलंदशहर	01
24.	गौतमबुद्धनगर	01
25.	मुरादाबाद द्वितीय	01
26.	अमरोहा	01
27.	गोण्डा	01
28.	बलरामपुर	01
29.	श्रावस्ती	01
30.	वाराणसी	01
31.	चन्दौली	01
32.	औरैया	01
33.	बागपत	01
34.	संतकबीरनगर	01
35.	शामली	01
36.	हापुड़	01
37.	सम्भल	01
	कुल	**37**

उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–10 के अनुसार जिला फोरम का प्रत्येक अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

उक्त के अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले **अभ्यर्थियों से दिनांक 11.09.2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–**

(क) **अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हता –**

एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने योग्य है।

जिला फोरमों के अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (14 वां संशोधन), नियमावली, 2019 के नियम 3(क) के प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी। विज्ञापन संख्या 27/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.30/18 दिनांक 02 जुलाई, 2018 के द्वारा 10 अध्यक्ष के पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, जिसे शासन ने अपने पत्र संख्या सीपी 243/2018–84–2–2018 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण उक्त प्रकाशित कराये गये विज्ञापन दिनांकित 02.07.18 निरस्त किया जाता है। अतः पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्तमान विज्ञापन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा। अतः इच्छुक अभ्यर्थी पुनः आवेदन प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम् फोटो संलग्न करें। अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों के साथ अपने अन्तिम न्यायिक पोस्टिंग के 10 निर्णयों की प्रति संलग्न करेंगे।

पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ को डाक अथवा सीधे प्रेषित किया जायेगा।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें। पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है।

अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप एवं **उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (14 वां संशोधन), नियमावली, 2019** के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं।

5/9/14

(निकुन्ज मित्तल)
निबन्धक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल)
गोमती नगर, लखनऊ।

जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेस विज्ञप्ति संख्याः 31/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.41/19 दिनांकः– 09 अगस्त, 2019

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें।

1. आवेदित पद का नाम..
2. आवेदित जिला उपभोक्ता फोरम का नाम...........................
3. अभ्यर्थी का नाम –
   (क) हिन्दी में...
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में...
4. पिता/पति का नाम–
   (क) हिन्दी में...
   (ख) अंग्रेजी के बडे अक्षरों में...
5. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)..
   (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु–...............वर्ष.............माह..............दिन
6. (क) शैक्षिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा) ....
   ....
   (ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा)...
7. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा..
   ....(अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन)
   (ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित)..................................
   ....
8. (क) स्थायी पता..
   ....
   (ख) पत्र व्यवहार का पता...
   ....
   (ग) गृह जनपद...
   (घ) ई–मेल आई.डी...
9. (क) वर्तमान व्यवसाय..
   (ख) किस राज्य के न्यायिक अधिकारी रहें हैं अथवा हैं ....
   (ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित) ....
   ....
10. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)..................................
    ....
    (आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)
11. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
    (क) पिता..
    (ख) पति/पत्नी...
12. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें।..
    ....
13. यदि किसी अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहा है अथवा कार्यरत है वह जिला फोरम में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें ....
    ....

....

....

यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें.............

....

....

....

....

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें...

....

....

....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण..

....

14. अभ्यर्थी यदि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार यह केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत है अथवा रहे हैं तो निम्न विवरण अंकित करें:–

(ए) विभाग का नाम ....

(बी) नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम ....

(सी) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे) ....

(डी) वेतनमान एवं मूलवेतन ....

(ई) सेवानिवृत्ति तिथि ....

(एफ) विभाग का पत्र व्यवहार का पता ....

....

(जी) सेवानिवृत्त के समय पदनाम ....

15. अन्य विवरण, यदि कोई हो...

16. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा नियुक्त अध्यक्ष का स्थानान्तरण किसी भी जनपद में किया जा सकता है।

17. टेलीफोन नं0 एस.टी.डी. कोड सहित...

18. मोबाइल नं0..

तिथि .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर......................................

स्थान .... अभ्यर्थी का नाम..

घोषणा पत्र

मैं...घोषणा करता/करती हूँ कि – (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्ते मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैंनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम...